रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.)-72

Medical Atten

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 589] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 11, 1986/अग्रहायण 20, 1908
No. 589] NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 11, 1986/AGRAHAYANA 20, 1908

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

नई दिल्ली, 11 दिसम्बर, 1986

अधिसूचना

सा. का. नि. 1278(अ).—केन्द्रीय सरकार, तेल उद्योग (विकास) अधिनियम, 1974 (1974 का 47) की धारा 31 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तेल उद्योग विकास बोर्ड कर्मचारी (चिकित्सीय परिचर्या) नियम, 1978 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम तेल उद्योग विकास बोर्ड कर्मचारी (चिकित्सीय परिचर्या) संशोधन नियम, 1986 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. तेल उद्योग विकास बोर्ड कर्मचारी (चिकित्सीय परिचर्या) नियम, 1978 में,—

(i) नियम 2 में, खंड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

'(क) "प्राधिकृत चिकित्सीय परिचारक" से दिल्ली में या किसी ऐसे अन्य स्थान पर, जहां बोर्ड का कर्मचारी या उसके कुटुम्ब का कोई सदस्य बीमार पड़ता है, कोई रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी अभिप्रेत है;'

(ii) नियम 3 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

"3. चिकित्सा प्रतिपूर्ति

3. 1 ऐसा कर्मचारी, जिसका कुटुम्ब ऐसा है जिसमें पात्र आश्रित हैं और जो यह प्रमाणित करता है कि उसके कुटुम्ब का कोई अन्य सदस्य किसी अन्य स्रोत से चिकित्सीय फायदा प्राप्त नहीं कर रहा है, इन नियमों के नियम 7 में जैसा उल्लिखित

है उससे भिन्न, चिकित्सीय उपचार के लिए 1800 रुपए प्रतिवर्ष, की दर पर चिकित्सा प्रतिपूर्ति प्राप्त करने का हकदार होगा ।

3.2 ऐसा कर्मचारी, जिसका कोई कुटुम्ब नहीं है, या जिसका कुटुम्ब है किन्तु उसका/उसकी पति/पत्नी किसी अन्य स्रोत से चिकित्सीय फायदा प्राप्त कर रहा है/रही है, इन नियमों के नियम 7 में जैसा उल्लिखित है उससे भिन्न, चिकित्सीय उपचार के लिए 1200 रुपए प्रतिवर्ष की दर पर चिकित्सा प्रतिपूर्ति प्राप्त करने का हकदार होगा ।

3.3 यदि किसी कुटुम्ब के दो या उससे अधिक सदस्य बोर्ड में कार्य कर रहे हैं, तो उनमें से केवल एक ही प्रतिपूर्ति के लिए पात्र होगा ।";

(iii) नियम, 4, 5 और 6 का लोप किया जाएगा;

(iv) नियम 7.2 के नीचे सारणीबद्ध प्ररूप में विनिर्दिष्ट दरों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा अर्थात् :—

"वेतन रेंज	कक्ष भाटक और चिकित्सीय परिचर्या के लिए संदत्त रकम	प्रसूति प्रसव फीस	मरहमपट्टी/इंजेक्शन प्रभार
	रु.	रु.	रु.
(1) 1000	75	500	(क) 5 रु. प्रति मरहमपट्टी
(2) 1001 से 2600 तक	140	650	(ख) (1) 6 रु. प्रति इंजेक्शन (अंत: शिरा)
(3) 2601–4000	200	750	(2) 4.00 रु. प्रति इंजेक्शन (अंत: पेशीय और अन्य)"
(4) 4001 और उससे अधिक	300	900	

(5) उपनियम 7.3 के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

"7.4 जहां रोगी को रक्त देना आवश्यक हो जाता है, वहां उसकी लागत की प्रतिपूर्ति, उपचार करने वाले डाक्टर द्वारा सम्यकतः सत्यापित, रसीद प्रस्तुत करने पर, की जाएगी ।

7.7 औषधियों की लागत, जिसके अन्तर्गत (चिकित्सालय आश्रयणोत्तर उपचार) के लिए यथावश्यक क्रय की गई औषधियों की लागत भी है, की प्रतिपूर्ति, उपचार करने वाले डाक्टर द्वारा सम्यकतः सत्यापित कैशमीमो और रसीद प्रस्तुत किए जाने पर, वास्तविक पर की जाएगी ।";

(6) नियम 9, 10 और 11 का लोप किया जाएगा;

(7) नियम 11 के पश्चात्, निम्नलिखित नियम अन्तः स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"12. शिथिल करने की शक्ति

जहां अध्यक्ष की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, आदेश द्वारा और ऐसे कारण जो, लेखबद्ध किए जाएंगे, इन नियमों के किसी उपबन्ध को शिथिल कर सकेगा ।"

[सं. 7(5)/85-वित्त II]

एस. बालाचन्द्रन, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पण :

मूल नियम, भारत के राजपत्र असाधारण भाग 2, खंड 3 (1) 9 अगस्त, 1978 के पृष्ठ 695 से 698 पर, अधिसूचना सं. सा. का. नि. 397 (अ) तारीख, 9 अगस्त, 1978 द्वारा प्रकाशित किए गए थे ।

MINISTRY OF PETROLEUM & NATURAL GAS

New Delhi, the 11th December, 1986

NOTIFICATION

G.S.R. 1278(E).—In exercise of the powers conferred by section 31 of the Oil Industry (Development) Act, 1974 (47 of 1974), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Oil Industry Development Board Employees (Medical Attendance) Rules, 1978, namely :—

1. (1) These rules may be called the Oil Industry Development Board Employees(Medical Attendance) Amendment Rules, 1986.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Oil Industry Development Board Employees (Medical Attendance) Rules, 1978.—

(i) in rule 2, for clause (a) the following clause shall be substituted, namely :—

(a) "authorised medical attendant" means any Registered Medical Practitioner in Delhi or any other place, where the employee of the Board or any member of his family falls ill';

(ii) for rule 3, the following rule shall be substituted, namely :—

"3. Medical Reimbursement

3.1 An employee who is having a family of eligible dependents and who certifies that no other member of his family is getting medical benefit from any other source, shall be entitled to get medical reimbursement at the rate of Rs. 1800/- per annum for medical treatment other than that mentioned in rule 7 of these rules.

3.2 An employee who is not having a family, or who is having family but whose spouse is getting medical benefit from any other source, shall be entitled to medical reimbursement at the rate of Rs. 1200/- per annum for medical treatment other than that mentioned in rule 7 of these rules.

3.3 In case two or more members of a family are working in the Board, only one of them shall be eligible for the reimbursement";

(iii) rules 4, 5 and 6 shall be omitted;

(iv) for the rates specified in tabular form below rule 7.2, the following shall be substituted, namely :—

"Pay range upto	Room rent and medical attendance paid	Maternity Confinement fee	Dressing/ Injection charges
1	2	3	4
(i) Rs. 1000	Rs. 75.00	Rs. 500.00	(a) Rs. 5 per dressing.
(ii) 1001-2600	140.00	650.00	(b) (i) Rs. 6.00 per injection (intravenous)
(iii) 2601-4000	200.00	750.00	(ii) Rs. 4.00 per injection (intramuscular and others)"
(iv) 4001 and above.	300.00	900.00	

(v) after sub-rule 7.3, the following sub-rules shall be inserted, namely :—

"7.4 Where it becomes necessary to give blood to the patient, cost thereof will be reimbursed on production of receipt duly verified by the attending doctor.

7.5 The cost of medicines including the cost of medicines purchased for 'post hospitalisation treatment' as necessary, will be reimbursed at actuals on production of cash memos and receipts duly verified by the attending doctor.";

(vi) rules 9, 10 and 11 shall be omitted;

(vii) after rule 11, the following rule shall be inserted, namely :—

"12. Power to relax

Where the Chairman is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, he may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules."

[No. 7(5)/85-Fin.II]

S. BALACHANDRAN, Jt. Secy.

Foot Note :—The Principal rules were published *vide* notification No. G.S.R. 397(E), dated 9th August, 1978, Gazette of India, extraordinary, 1978, Part II, Section 3(i), pages 698 to 700.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1986